

(भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग 11, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 21/2020- सीमाशुल्क (एडीडी)

नई दिल्ली, दिनांक 29 जुलाई, 2020

सा.का.नि. (अ.) - जहां कि चीन जनवादी गणराज्य, जापान, कोरिया गणराज्य, ताईवान और वियतनाम (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत देशों से संदर्भित किया गया है) में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित तथा भारत में आयातित "डिजिटल आफसेट प्रिंटिंग प्लेट्स" (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है), जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची के उप शीर्षक 8442 50 और टैरिफ मद 3701 30 00, 3704 00 90, 3705 10 00, 7606 11 90, 7606 91 90, 7606 92 90 के अंतर्गत आती है, के मामले में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अधिसूचना संख्या 6/7/2019-डीजीटीआर, दिनांक 3 अक्टूबर, 2019 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग 1, खंड 1 में प्रकाशित अपने प्राथमिक निष्कर्षों में इन विषयगत देशों में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित विषयगत वस्तु के आयात पर अनंतिम प्रतिपादन शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की है:-

और जहां कि उक्त विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त निष्कर्षों के आधार पर केन्द्र सरकार ने उक्त विषयगत वस्तु पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 02/2020-सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 30 जनवरी, 2020, जिसे सा.का.नि. 58 (अ), दिनांक 30 जनवरी, 2020 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग 11, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के तहत अनंतिम प्रतिपादन शुल्क लगाया था;

और जहां कि उक्त विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अधिसूचना संख्या फाइल संख्या 6/7/2019-डीजीटीआर, दिनांक 15 मई, 2020, जिसे दिनांक 15 मई, 2020 को भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग 1, खंड 1 में प्रकाशित किया गया था के तहत अपने अंतिम निष्कर्षों में इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि -

- (क) विषयगत देशों से होने वाले विषयगत वस्तु के आयात में निरपेक्ष रूप से और भारत में होने वाले उत्पादन और खपत की तुलना में भी बहुत अधिक वृद्धि हुई है;
- (ख) उक्त विषयगत वस्तु का विषयगत देशों से भारत को निर्यात उनके सामान्य मूल्य से कम मूल्य पर किया गया था;
- (ग) विषयगत देशों से उक्त विषयगत आयात के कारण यहां के घरेलू उद्योग को सारवान क्षति हुई है; और
- (घ) इस प्रकार की सारवान क्षति विषयगत देशों से विषयगत वस्तु के फालतू आयात के कारण हुई है;

और घरेलू उद्योग को हुई इस क्षति को दूर करने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी ने विषयगत देश में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित तथा भारत में आयातित विषयगत वस्तु के आयात पर निश्चयात्मक प्रतिपादन शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की है ।

अतः अब सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपादन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18 और 20 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ

अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 02/2020-सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 30 जनवरी, 2020, जिसे सा.का.नि. 58 (अ), दिनांक 30 जनवरी, 2020 के तहत प्रकाशित किया गया था, का अधिक्रमण करते हुए, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई अथवा न की गई बातों को छोड़ते हुए, केन्द्र सरकार, उक्त निर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त प्राथमिक निष्कर्ष पर विचार करने के पश्चात, एतद्वारा, विषयगत वस्तु, जिसका विवरण नीचे सारणी के कॉलम (3) में निर्दिष्ट है, जो कि उक्त सारणी के कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के उप शीर्षक या टैरिफ मदों के अंतर्गत आती हैं, कॉलम (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देशों में मूलतः उत्पादित है, कॉलम (5) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट देशों से निर्यातित है, कॉलम (6) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट उत्पादकों से उत्पादित है तथा भारत में आयातित है पर कॉलम (7) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट राशि के बराबर की दर से, कॉलम (9) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट मुद्रा में और कॉलम (8) में की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट माप इकाई के अनुसार प्रतिपाटन शुल्क लगाती है, यथा –

#### सारणी

क्र. सं.	उप शीर्षक/टैरिफ मद	विवरण	मूलतः उत्पादन का देश	निर्यातक देश	उत्पादक	राशि	इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	8442 50, 3701 30 00, 3704 00 90, 3705 10 00, 7606 11 90, 7606 91 90, 7606 92 90	डिजिटल आफसेट प्रिंटिंग प्लेट्स	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	लकी हुआगुआंग ग्राफिक्स कंपनी लिमिटेड	0.55	वर्ग मीटर	अमेरिकी डॉलर
2.	8442 50, 3701 30 00, 3704 00 90, 3705 10 00, 7606 11 90, 7606 91 90, 7606 92 90	डिजिटल आफसेट प्रिंटिंग प्लेट्स	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	कोडक चाइना ग्राफिक्स कम्युनिकेशन्स कंपनी लिमिटेड	शून्य	वर्ग मीटर	अमेरिकी डॉलर
3.	8442 50, 3701 30 00, 3704 00 90, 3705 10 00, 7606 11 90, 7606 91 90, 7606 92 90	डिजिटल आफसेट प्रिंटिंग प्लेट्स	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	शंघाई स्ट्रॉंग स्टेट प्रिंटिंग इक्विपमेंट लिमिटेड और मैसर्स अंहुई स्ट्रॉंग स्टेट प्रिंटिंग मैटीरियल्स लिमिटेड	0.60	वर्ग मीटर	अमेरिकी डॉलर
4.	8442 50, 3701 30 00,	डिजिटल आफसेट प्रिंटिंग प्लेट्स	चीन जनवादी	चीन जनवादी	प्यूजी फिल्म प्रिंटिंग प्लेट (चीन)	शून्य	वर्ग मीटर	अमेरिकी डॉलर

	3704 00 90, 3705 10 00, 7606 11 90, 7606 91 90, 7606 92 90		गणराज्य	गणराज्य	कंपनी लिमिटेड			
5.	8442 50, 3701 30 00, 3704 00 90, 3705 10 00, 7606 11 90, 7606 91 90, 7606 92 90	डिजिटल आफसेट प्रिंटिंग प्लेट्स	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	उपर्युक्त कॉलम (6) में उल्लिखित क्रम संख्या 1 से 4 को छोड़कर कोई अन्य उत्पादक	0.77	वर्ग मीटर	अमेरिकी डॉलर
6.	8442 50, 3701 30 00, 3704 00 90, 3705 10 00, 7606 11 90, 7606 91 90, 7606 92 90	डिजिटल आफसेट प्रिंटिंग प्लेट्स	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य से भिन्न अन्य कोई देश	कोई भी	0.77	वर्ग मीटर	अमेरिकी डॉलर
7.	8442 50, 3701 30 00, 3704 00 90, 3705 10 00, 7606 11 90, 7606 91 90, 7606 92 90	डिजिटल आफसेट प्रिंटिंग प्लेट्स	कोरिया गणराज्य	कोरिया गणराज्य	जील सी एंड पी कंपनी लिमिटेड	0.15	वर्ग मीटर	अमेरिकी डॉलर
8.	8442 50, 3701 30 00, 3704 00 90, 3705 10 00, 7606 11 90, 7606 91 90, 7606 92 90	डिजिटल आफसेट प्रिंटिंग प्लेट्स	कोरिया गणराज्य	कोरिया गणराज्य	जील सी एंड पी कंपनी लिमिटेड को छोड़कर कोई अन्य उत्पादक	0.37	वर्ग मीटर	अमेरिकी डॉलर
9.	8442 50, 3701 30 00, 3704 00 90, 3705 10 00, 7606 11 90, 7606 91 90, 7606 92 90	डिजिटल आफसेट प्रिंटिंग प्लेट्स	कोरिया गणराज्य	कोरिया गणराज्य से भिन्न अन्य कोई देश	कोई भी	0.37	वर्ग मीटर	अमेरिकी डॉलर
10.	8442 50,	डिजिटल आफसेट प्रिंटिंग	जापान	जापान	फ्यूजी फिल्म	0.13	वर्ग	अमेरिकी

	3701 30 00, 3704 00 90, 3705 10 00, 7606 11 90, 7606 91 90, 7606 92 90	प्लेट्स			कॉपरेशन		मीटर	डॉलर
11.	8442 50, 3701 30 00, 3704 00 90, 3705 10 00, 7606 11 90, 7606 91 90, 7606 92 90	डिजिटल आफसेट प्रिंटिंग प्लेट्स	जापान	जापान	फ्यूजी फिल्म कॉपरेशन को छोड़कर कोई अन्य उत्पादक	0.27	वर्ग मीटर	अमेरिकी डॉलर
12.	8442 50, 3701 30 00, 3704 00 90, 3705 10 00, 7606 11 90, 7606 91 90, 7606 92 90	डिजिटल आफसेट प्रिंटिंग प्लेट्स	जापान	जापान से भिन्न अन्य कोई देश	कोई भी	0.27	वर्ग मीटर	अमेरिकी डॉलर
13.	8442 50, 3701 30 00, 3704 00 90, 3705 10 00, 7606 11 90, 7606 91 90, 7606 92 90	डिजिटल आफसेट प्रिंटिंग प्लेट्स	वियतनाम	वियतनाम	कोई भी	0.60	वर्ग मीटर	अमेरिकी डॉलर
14.	8442 50, 3701 30 00, 3704 00 90, 3705 10 00, 7606 11 90, 7606 91 90, 7606 92 90	डिजिटल आफसेट प्रिंटिंग प्लेट्स	वियतनाम	वियतनाम से भिन्न अन्य कोई देश	कोई भी	0.60	वर्ग मीटर	अमेरिकी डॉलर
15.	8442 50, 3701 30 00, 3704 00 90, 3705 10 00, 7606 11 90, 7606 91 90, 7606 92 90	डिजिटल आफसेट प्रिंटिंग प्लेट्स	ताइवान	ताइवान	कोई भी	0.41	वर्ग मीटर	अमेरिकी डॉलर

16.	8442 50, 3701 30 00, 3704 00 90, 3705 10 00, 7606 11 90, 7606 91 90, 7606 92 90	डिजिटल आफसेट प्रिंटिंग प्लेट्स	ताइवान	ताइवान से भिन्न अन्य कोई देश	कोई भी	0.41	वर्ग मीटर	अमेरिकी डॉलर
-----	---	-----------------------------------	--------	------------------------------------	--------	------	--------------	-----------------

उपर्युक्त सारणी के कॉलम (3) में उल्लिखित वस्तुओं में वाटरलेस सीटीपी प्लेट्स जिसका प्रयोग विशिष्ट सामग्रियों जैसे कि क्रेडिट कार्ड, सिक्युरिटी कार्ड आदि पर प्रिंटिंग के लिए होता है और कागज पर प्रिंटिंग के लिए नहीं होता है, शामिल नहीं है।

2. इस अधिसूचना के अंतर्गत लगाया गया यह प्रतिपाटन शुल्क इस अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क के लगाए जाने की उपर्युक्त तारीख अर्थात् 30 जनवरी, 2020 से पांच वर्ष की अवधि तक (यदि इससे पहले इसे वापस नहीं लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं होता है, या इसमें संशोधन नहीं होता है तो) लागू रहेगी और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में करना होगा !!

स्पष्टीकरण – इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए:-

(क) “अवतरण मूल्य” से अभिप्राय सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के अंतर्गत सीमा शुल्क के द्वारा निर्धारित आंकलन मूल्य से है और इसमें सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3, 3क, 8ख, 9 और 9क के अंतर्गत लगाए जाने वाले शुल्क को छोड़कर सभी प्रकार के शुल्क आते हैं।

(ख) ऐसे प्रतिपाटन शुल्क की गणना के प्रयोजन हेतु लागू विनिमय दर वही दर होगी जो कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, जिसे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर जारी किया गया हो, में विनिर्दिष्ट की गई होगी और इस विनिमय दर के निर्धारण की संगत तारीख वह तारीख होगी जो कि उक्त सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र में प्रदर्शित होगी।

[फाइल संख्या 354/165/2019 –टीआरयू]

(जे. एस. कंधारी)  
उप सचिव, भारत सरकार